

बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

किशनगढ़, जिला-अजमेर/सार्वजनिक नीलामी सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन एक्ट 2002 (2002 का सं. 54) नियम 4 से 9 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन एक्ट 2002 के अधीन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने निम्नलिखित वर्णित विवरण वाले ऋणियों को नोटिस जारी किया है और तत्पश्चात् बंधक सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 नियम 4 से 9 के अंतर्गत जो है, जैसी है, जहाँ है, और जितनी भी उपलब्ध है, के आधार पर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किशनगढ़, जिला-अजमेर (राज.) पर टेण्डर नीलामी द्वारा विक्रय का निर्णय लिया है। ऋणियों, बकाया ऋण, आरक्षित मूल्य एवं स्थावर संपत्तियों का विवरण निम्न प्रकार है :-

ऋणियों का नाम	सम्पत्ति मालिक का नाम एवं स्थावर व अस्थावर सम्पत्ति का विवरण (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार)	आरक्षित मूल्य एवं धरोहर राशि रूपयों में	मांग पत्र की तिथि व राशि /वर्तमान बकाया राशि	नीलामी की दिनांक व समय
मैसर्स बालाजी इण्डस्ट्रीज (ऋणी) (1) श्री ओमप्रकाश काबरा पुत्र श्री रामबल्लभ काबरा (पार्टनर एवं गारन्टर) (2) श्रीमती मधु बाहेती पत्नी श्री दिनेश बाहेती (पार्टनर एवं गारन्टर) (3) श्री दिनेश बाहेती पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद बाहेती (गारन्टर) (4) श्री रमेश बाहेती पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद बाहेती (गारन्टर) (5) श्रीमती सीता देवी बाहेती पत्नी श्री रामेश्वर प्रसाद बाहेती (गारन्टर)	लोट (ए) प्लान्ट एवं मशीनरी :- मैसर्स बालाजी इण्डस्ट्रीज की खसरा नं. 948/3, ग्राम-रलावता, तहसील-किशनगढ़, जिला-अजमेर पर स्थित समस्त प्लान्ट एण्ड मशीनरी (जो है, जैसी है, जहाँ है, और जितनी भी उपलब्ध है, के आधार पर)	आरक्षित मूल्य रु. 41,50,000 /- (इकतालीस लाख पचास हजार रुपये) धरोहर राशि रु. 4,15,000 /- (चार लाख पंद्रह हजार रुपये)	दिनांक 07/10/2016 रु. 76,83,856 /- दिनांक 07-10-2016 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्च वर्तमान बकाया :- रु 85,71,355 /- दिनांक 31.05.2017 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्च	दिनांक 05-07-2017 दोपहर 3:00 बजे (प्राधिकृत अधिकारी विवेकानुसार समय बढ़ा सकता है)
	लोट (बी) भूमि एवं भवन :- मैसर्स बालाजी इण्डस्ट्रीज जरिये पार्टनर्स श्री ओमप्रकाश काबरा पुत्र श्री रामबल्लभ काबरा एवं श्रीमती मधु बाहेती पत्नी श्री दिनेश बाहेती की खसरा नं. 948/3, ग्राम-रलावता, तहसील-किशनगढ़, जिला-अजमेर (राज.) स्थित औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूखण्ड (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा अर्थात् क्षेत्रफल 8079.32 वर्गगज में से विखण्डित भूखण्ड जिसका क्षेत्रफल 1825.57 वर्गमीटर) सीमाएं :- पूर्व में अन्य भूमि, पश्चिम में खसरा नं. 948/3 का भाग, उत्तर में हरमाड़ा रोड़, दक्षिण में अन्य भूमि,	आरक्षित मूल्य रु. 67,35,000 /- (सड़सठ लाख पैतीस हजार रुपये) धरोहर राशि रु. 6,73,500 /- (छः लाख तिहत्तर हजार पाँच सौ रुपये)		

(2)

1. इच्छुक खरीददार अपनी निविदा निर्धारित प्रपत्र (बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किशनगढ़, जिला-अजमेर (राज.) शाखा में तथा बेवसाईट www.enforcementindia.com, www.brkgb.com पर उपलब्ध) पर अपने द्वारा प्रस्तावित मूल्य लिखकर एंव सील बंद लिफाफे में धरोहर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किशनगढ़, जिला-अजमेर (राज.), के पक्ष में हो, के साथ नीलामी की तिथि से पूर्व कार्यदिवस तक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किशनगढ़, जिला-अजमेर (राज.) पर या नीलामी की तिथि को नीलामीकर्ता के पास नीलामी स्थल पर सुबह 10:00 बजे के पश्चात एंव निविदा खोलने से पूर्व जमा करवाकर नीलामी में भाग ले सकते हैं। निविदा खोलने के पश्चात समस्त निविदा कर्ताओं के बीच खुली बोली लगवाने का विकल्प नीलामीकर्ता के पास सुरक्षित है।
2. अधिकतम राशि की निविदा के साथ वाला डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक रखा जायेगा तथा शेष निविदाकारों के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक नीलामी के तुरन्त बाद सम्बन्धित निविदाकारों को लौटा दिया जायेगा। अधिकतम निविदाकार को नीलामी राशि की 25 प्रतिशत राशि मौके पर ही नीलामी के तुरन्त बाद जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कि बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किशनगढ़, जिला-अजमेर (राज.) के पक्ष में देय हो, नीलामी कर्ता के पास जमा करानी होगी, लेकिन विशेष परिस्थितियों में निविदाकार को 24 घण्टे के अन्दर यह राशि जमा करवाने की अनुमति दी जा सकती है। धरोहर राशि को भी इस राशि में समायोजित किया जायेगा। यदि निविदाकार उपरोक्तानुसार राशि जमा नहीं करता है तो 10 प्रतिशत की धरोहर राशि जब्त समझी जायेगी।
3. शेष 75 प्रतिशत राशि बैंक द्वारा जारी मांग पत्र से पन्द्रह दिवस के अन्दर जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कि बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किशनगढ़, जिला-अजमेर (राज.) के नाम देय हो, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किशनगढ़, जिला-अजमेर (राज.) की शाखा के शाखा प्रबन्धक को जमा करवानी होगी अन्यथा पूर्व में जमा 25 प्रतिशत राशि बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किशनगढ़, जिला-अजमेर (राज.) में जब्त समझी जायेगी।
4. नीलामी की शर्तें निविदा प्रपत्र में वर्णित हैं, निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जायेगी। सम्पत्ति जो है, जहाँ है, जैसी है, और जितनी भी उपलब्ध है, की स्थिति में बेची जायेगी। सर्वप्रथम लोट (एबी) अर्थात् दोनों सम्पत्तियों की संयुक्त नीलामी की जायेगी, दोनो सम्पत्तियों की संयुक्त बोली न आने की दशा में लोट (बी) अर्थात् भूमि एवं भवन की नीलामी की जायेगी। यदि लोट (एबी) व लोट (बी) दोनों की ही बोलियां नहीं आईं तो लोट (ए) की अकेले की नीलामी नहीं की जायेगी। उपरोक्त वर्णित विवरण क्षेत्रफल व सीमाएं बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार हैं। मौके पर भिन्न स्थिति होने पर प्राधिकृत अधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सम्पत्ति हस्तान्तरण व विक्रय विलेख निष्पादित करवाने में लगने वाले समस्त व्यय यथा रजिस्ट्रेशन व्यय, स्टाम्प ड्युटी एवं हस्तान्तरण फीस, इत्यादि क्रेता द्वारा ही वहन की जायेगी। बन्धक सम्पत्ति पर बैंक को किसी भी प्रकार के भार व अन्य दावों की जानकारी नहीं है। प्रस्ताव की तिथि को उससे पूर्व या उसके बाद सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी भी तरह के चार्जज, टैक्स या अन्य दायित्वों (यदि कोई हो तो,) का वहन क्रेता को ही करना पड़ेगा जिसके लिये बैंक प्रतिभूत लेनदार जिम्मेदार नहीं होगा।
5. नीलामी की अन्य शर्तें नीलामीकर्ता द्वारा मौके पर ही सूचित की जायेगी। संपत्ति एवं नीलामी के बारे में अधिक जानकारी के लिये बेवसाईट www.enforcementindia.com, www.brkgb.com या एंजेसी राजवंशी एण्ड एसोसिएट्स या अधोहस्ताक्षरकर्ता से सम्पर्क किया जा सकता है।

नोट :- इस सूचना द्वारा उपरोक्त ऋणियों व जमानतियों को सूचित किया जाता है कि कब्जाकृत सम्पत्ति को प्राधिकृत अधिकारी ने सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय का निर्णय लिया है। यदि आपके पास कोई उचित मूल्य देने वाला क्रेता उपलब्ध है तो नीलामी तिथि तक अधोहस्ताक्षरकर्ता से संपर्क करें। आशा कि जाती है कि ऋणी इस सम्पत्ति के उचित मूल्य पर एवं शांतिपूर्ण ढंग से विक्रय में सकारात्मक सक्रिय सहयोग देंगे। यह नोटिस ऋणियों व गारन्टरों को प्रतिभूति हित (प्रर्वतन) नियम 2002 के नियम 4 से 9 के अन्तर्गत 30 दिवस का नोटिस भी है।

स्थान :- भीलवाड़ा

दिनांक :- 31.05.2017

शाखा प्रबंधक
बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
शाखा किशनगढ़, जिला-अजमेर (राज.)
फोन नं. 01463-246480, मो.
8003490254

एनफोर्समेंट एंजेसी
राजवंशी एण्ड एसोसिएट्स,
एच-15, चितरंजन मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर
दूरभाष न. 0141-2363340, 2363341,
2363342 मोबाईल- 9314011891,
9314011896

प्राधिकृत अधिकारी,
बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय
ग्रामीण बैंक

बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

किशनगढ़, जिला—अजमेर (राज.)

सार्वजनिक नीलामी सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन एक्ट 2002 (2002 का सं. 54) नियम 4 से 9 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन एक्ट 2002 के अधीन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने निम्नलिखित वर्णित विवरण वाले ऋणियों को नोटिस जारी किया है और तत्पश्चात् बंधक सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 नियम 4 से 9 के अंतर्गत जो है, जैसी है, जहाँ है, और जितनी भी उपलब्ध है, के आधार पर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किशनगढ़, जिला— अजमेर (राज.) पर टेण्डर नीलामी द्वारा विक्रय का निर्णय लिया है। ऋणियों, बकाया ऋण, आरक्षित मूल्य एवं स्थावर संपत्तियों का विवरण निम्न प्रकार है :-

—: नीलामी की शर्तें :-

1. इच्छुक खरीददार अपनी निविदा निर्धारित प्रपत्र (बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किशनगढ़, जिला—अजमेर (राज.) शाखा में तथा वेबसाईट www.enforcementindia.com, www.brkgb.com पर उपलब्ध) पर अपने द्वारा प्रस्तावित मूल्य लिखकर एवम सील बंद लिफाफे में धरोहर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किशनगढ़, जिला—अजमेर (राज.), के पक्ष में हो, के साथ नीलामी की तिथि से पूर्व कार्यदिवस तक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किशनगढ़, जिला—अजमेर (राज.) पर या नीलामी की तिथि को नीलामीकर्ता के पास नीलामी स्थल पर सुबह 10:00 बजे के पश्चात एवं निविदा खोलने से पूर्व जमा करवाकर नीलामी में भाग ले सकते हैं। निविदा खोलने के पश्चात समस्त निविदा कर्ताओं के बीच खुली बोली लगवाने का विकल्प नीलामीकर्ता के पास सुरक्षित है।
2. अधिकतम राशि की निविदा के साथ वाला डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक रखा जायेगा तथा शेष निविदाकारों के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक नीलामी के तुरन्त बाद सम्बन्धित निविदाकारों को लौटा दिया जायेगा। अधिकतम निविदाकार को नीलामी राशि की 25 प्रतिशत राशि मौके पर ही नीलामी के तुरन्त बाद जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कि बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किशनगढ़, जिला— अजमेर (राज.) के पक्ष में देय हो, नीलामी कर्ता के पास जमा करानी होगी, लेकिन विशेष परिस्थितियों में निविदाकार को 24 घण्टे के अन्दर यह राशि जमा करवाने की अनुमति दी जा सकती है। धरोहर राशि को भी इस राशि में समायोजित किया जायेगा। यदि निविदाकार उपरोक्तानुसार राशि जमा नहीं करता है तो 10 प्रतिशत की धरोहर राशि जब्त समझी जायेगी, एवम इस परिस्थिती में अन्य निविदाकार जिसका प्रस्ताव अधिकतम हो को विक्रय करने पर विचार किया जा सकता है।
3. शेष 75 प्रतिशत राशि बैंक द्वारा जारी मांग पत्र से पन्द्रह दिवस के अन्दर जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कि बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किशनगढ़, जिला—अजमेर (राज.) के नाम देय हो, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किशनगढ़, जिला—अजमेर (राज.) की शाखा के शाखा प्रबन्धक को जमा करवानी होगी अन्यथा पूर्व में जमा 25 प्रतिशत राशि बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किशनगढ़, जिला—अजमेर (राज.) में जब्त समझी जायेगी।
4. सम्पत्ति जो है, जहाँ है, जैसी है, और जितनी भी उपलब्ध है, की स्थिति में बेची जायेगी। सर्वप्रथम लोट (एबी) अर्थात दोनों सम्पत्तियों की संयुक्त नीलामी की जायेगी। दोनो सम्पत्तियों की संयुक्त बोली न आने की दशा में लोट (बी) अर्थात भूमि एवं भवन की नीलामी की जायेगी। यदि लोट (एबी) व लोट (बी) दोनों की ही बोलियां नहीं आईं तो लोट (ए) की अकेले की नीलामी नहीं की जायेगी। उपरोक्त वर्णित विवरण क्षेत्रफल व सिमाए बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार है। मौके पर भिन्न स्थिति होने पर प्राधिकृत अधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सम्पत्ति हस्तान्तरण व विक्रय विलेख निष्पादित करवाने में लगने वाले समस्त व्यय यथा रजिस्ट्रेशन व्यय, स्टाम्प ड्युटी एवं हस्तान्तरण फीस, इत्यादि क्रेता द्वारा ही वहन की जायेगी। बन्धक सम्पत्ति पर बैंक को किसी भी प्रकार के भार व अन्य दावों की जानकारी नहीं है। प्रस्ताव की तिथि को उससे पूर्व या उसके बाद सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी भी तरह के चार्जज, टैक्स या अन्य दायित्वो (यदि कोई हो तो) का वहन क्रेता को ही करना पड़ेगा जिसके लिये बैंक प्रतिभूत लेनदार जिम्मेदार नहीं होगा।
5. नीलामी/विक्रय की पुष्टि प्राधिकृत अधिकारी, के क्षेत्राधिकार में होगी, जिसे किसी भी कारण एवं बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है। धरोहर राशि या विक्रय प्रतिफल के रूप में जमा किसी भी राशि पर किसी भी परिस्थिति में कोई ब्याज देय नहीं होगा।

6. नीलामी या नीलामी के किसी भी खण्ड को रद्द करने, शामिल करने या निकालने का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी के पास सुरक्षित है तथा इसके लिये बैंक द्वारा कोई भी क्लेम स्वीकार नहीं किया जायेगा।
7. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अपना फोटो युक्त पहचान दस्तावेज पेश करना होगा। किसी अन्य के लिए बोली में भाग लेने के लिए सम्बन्धित व्यक्ति को इस हेतु अधिकृत किये जाने का दस्तावेज पेश करना होगा।
8. नीलामी की अन्य शर्तें नीलामीकर्ता द्वारा मौके पर ही सूचित की जायेगी। संपत्ति एवं नीलामी के बारे में अधिक जानकारी के लिये वेबसाइट www.enforcementindia.com, www.brkgb.com या एंजेसी राजवंशी एण्ड एसोसिएट्स या अधोहस्ताक्षरकर्ता से सम्पर्क किया जा सकता है।

बोलीदाता हस्ताक्षर

प्राधिकृत अधिकारी